

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (1) निकाशि / वेबसाइट / 2006 / 3840

दिनांक 16 अगस्त, 2013


कार्यालय आदेश

कालेज शिक्षा, विभाग के निदेशक को सूचनाएं ई-मेल से प्रेषित करने के क्रम में महाविद्यालयों को समय समय पर ई-मेल पतों के विषय में सूचित किया जाता रहा है। निदेशक, को ई-मेल प्रेषित करने हेतु सिर्फ निम्न दो ई-मेल एड्रेस का उपयोग किया जाए—

commissioner.cce@rajasthan.gov.in

cce_raj@yahoo.com

उपरोक्त दो ई-मेल पतों के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर प्रेषित ई-मेल का संज्ञान निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा न लिए जाने हेतु प्रेषक स्वयं उत्तरदायी होंगे। निदेशालय के अन्य अधिकारियों के ई-मेल पते विभागीय वेबसाइट पर दिए गये हैं जिनका उपयोग उनसे संबंधित शाखाओं को ई-मेल प्रेषित करने हेतु पूर्ववत् किया जा सकता है।


(निधीन जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ 15 (1) निकाशि / वेबसाइट / 2006 /

दिनांक अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त निदेशक, प्रशासन / कार्मिक / अकादमी / आयोजना / अनुदान / छात्रवृत्ति कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 2 वित्तीय सलाहकार, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 3 उपविधि परामर्शी, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
- 4 समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं निजी महाविद्यालय ।
- 5 निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर प्रत्येक कार्य दिवस पर ईमेल चैक करने हेतु
- 6 प्रभारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 7 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर



(डा.सी.एम.खटीक)